न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

सीलिंग प्रकरण संख्या – 03/2017

जी.सी.एम.एस. संख्या– 2017/00002

सात्य/प्रार्थी	बनाम	गैर सायलान/ अप्रार्थीगण
1. सरकार		भेराराम पुत्र श्री मोती के कायम मुकाम–
		1. श्री बंकट लाल के का.मु.
		1/1 श्रीमती दोली पत्नि भेराराम
		1/2 श्री प्रभूराम पुत्र भेराराम
		1/3 श्री उम्मेदाराम पुत्र भेराराम
		1/4 श्री हिम्मताराम पुत्र भेराराम
		1/5 उकी पुत्री भेराराम
		1/6 जमु पुत्री भेराराम

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक सरकार की तरफ सें।

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973

–:निर्णय:– दिनांक 25-11-2024

1. इस सीलिंग प्रकरण में तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी बाली ने उनके निर्णय दिनांक 15.07.1974 के अनुसार गैरसायल भेरा पुत्र मोती के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया। तदुपरान्त राजस्व (सीलिंग) विभाग राजस्थान जयपुर ने अपने आदेश क्रमांक प.1(24) राज/सी/79 दिनांक 06.3.82 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय दिनांक 15.07.1974 राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अनुसार नहीं मानते हुए और राज्यहित के प्रतिकुल मानते हुए उक्त प्रकरण को रि–ओपन कर राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिलाधीश पाली को प्राधिकृत नियुक्त कर निर्देश दिये की उक्त प्रकरण पुनः खोलकर एवं अप्रार्थीगण को नियमानुसार नोटिस देकर तथा सूनवाई का समूचित अवसर देते हुए विस्तृत जांच के उपरान्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपना निर्णय देवें।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

2. राजस्व (सीलिंग) विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 06.3.82 की पालना में न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश पाली द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर सीलिंग प्रकरण संख्या 45/1982 दायरा दिनांक 10.12.1982 को दर्ज कर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के आदेश क्रमांक/कोर्ट/94/782 दिनांक 25.8.1994 के अनुसरण में पत्रावली अतिरिक्त जिलाधीश पाली के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई। इस न्यायालय द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 166/94 दर्ज कर निर्णय दिनांक 04.8.1999 के अनुसार मृतक गैरसायल भेरा/कायम मुकामों द्वारा धारित भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के फलस्वरूप 118 बीघा 10 बिस्वा चाही भूमि या 1 बीघा 16 बिस्वा चाही भूमि बराबर 1 बीघा जवाई भूमि के अनुपात से भूमि अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया गया।

3. तत्पश्चात मृतक गैरसायल भेराराम के कायम मुकामों द्वारा इस न्यायालय के सीलिंग प्रकरण संख्या 166/94 मे पारित निर्णय दिनांक 04.08.1999 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सीलिंग अपील संख्या 147/1999 अनवान डोलि पत्नि भेराराम वगैरह बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 23.11.2002 के अनुसार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.8.1999 को अपास्त कर मृतक गैरसायल भेराराम के पुत्र प्रभु को पृथक युनिट मानते हुए प्रकरण को पुनः निस्तारण करने के निर्देश के साथ प्रकरण इस न्यायायल को प्रति–प्रेषित किया।

4. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 23.11.2002 की पालना में इस न्यायालय द्वारा पुनः सीलिंग प्रकरण संख्या 05/2003 दर्ज रजिस्टर किया जाकर मृतक गैरसायल भेराराम के कायम मुकामों जरिये नोटिस तलब किया गया तथा दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.9.2004 के अुनसार मृतक गैरसायल भेराराम/कायम मुकामों के पास 5.07 एकड़ जवाई एक फसली एश्योर्ड अर्थात 13 बीघा जवाई एक फसली भूमि अथवा 22 बीघा चाही भूमि सीलिंग सीमा से अधिक धारण करने से अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया।

5. तत्पश्चात मृतक गैरसायल के कायम मुकाम द्वारा इस न्यायायल के आदेश दिनांक 24.9.2004 से व्यथित हो कर पुनः उक्त आदेश के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा सीलिंग अपील संख्या 4916/2004 में पारित निर्णय दिनांक 20.2.2014 के अनुसार इस न्यायायल के निर्णय दिनांक 24.9.2004 को अपास्त कर प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 20.2.2014 में उल्लेखित अनुच्छेद

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

11 में उदघृत विधिक प्रावधानों और माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्त अभिमत अनुसार प्रकरण की पुनः जांच करके नवीनतः निर्णय पारित किया जावे।

6. माननीयल राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 20.2.2014 के अनुसरण में प्रकरण इस न्यायालय द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 03/2017 दर्ज कर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल उम्मेदराम, प्रभूराम व हिम्मताराम की तरफ से अधिवक्ता श्री भैरूसिंह ने वकालतनामा पेश किया तथा मृतक गैरसायल भेराराम की पुत्रियों को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने के उपरान्त भी वे अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री भैरूसिंह द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया जो इस न्यायालय द्वारा पर्याप्त मात्रा में समय व अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा अपने पक्ष में न तो किसी प्रकार का जवाब पेश किया तथा न हीं किसी प्रकार के साक्ष्य/सबूत पेश किये। जिससे जाहिर होता हैं कि गैरसायल व उनके अधिवक्ता के पास अपने पक्ष को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य/सबूत उपलब्ध नहीं हैं, उनके द्वारा केवल मात्र उक्त सीलिंग कार्यवाही से बचने के उद्येश्य से तथा प्रकरण को लम्बा बढाने की नियत से जानबुझ कर बार बार तारीख पेशी ली जा रही हैं। पत्रावली वास्ते बहस हेतु मुकर्र की गई। गैरसायल के विद्धान अधिवक्ता को प्रकरण के निस्तारण हेतु वास्ते बहस हेतु समुचित मात्रा में अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी उनके द्वारा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की बहस नहीं की गई, जिससे प्रतित होता हैं कि गैरसायलान व उनके विद्धान अधिवक्ता उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाना ही नहीं चाहते। चुंकि प्रकरण में न्यायालय द्वारा गैरसायलान को पर्याप्त मात्रा में समय व अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा अपने पक्ष को साबित करने हेतु किसी प्रकार का साक्ष्य/सबूत व जवाब पेश नहीं किया तथा उक्त प्रकरण लम्बे समय से न्यायालय में विचाराधीन होने से अब उक्त प्रकरण को आगे चलाये रखना उचित प्रतित नहीं होता।

7. अन्ततः प्रकरण में सायल की ओर से राजकीय अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.02.2014 में जाहिर किया हैं कि इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.9.2004 में सीलिंग नियमों के नियम 5(3) अनुसार गैरसायल के पास धारण भूमि की किस्म को निम्नतर से उच्च श्रेणी की भूमि में सम्परिवर्तित करते हुये गणना की जानी थी, जो नहीं की गई, जिस कारण माननीय राजस्व मण्डल ने उक्त प्रकरण की पुनः जांच कर नवीनतः निर्णय पारित करने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में विद्धान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता हैं कि मृतक गैरसायल भेराराम के पास दिनांक 01.01.1973 तक 97 बीघा 04 बिस्वा जवाई नहरी भूमि व 89 बीघा

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

15 बिस्वा चाही भूमि कुल 186 बीघा 19 बिस्वा भूमि धारण थी, जिसे नये कानून की धारा 4 व 5 के तहत् गणना करने पर यह स्पष्ट हैं कि 89 बीघा 15 बिस्वा चाही भूमि = 35.90 एकड तथा 97 बीघा 04 बिस्वा जवाई नहरी भूमि = 38.88 एकड़ भूमि होती हैं।

9. राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया की पाली जिले का सुमेरपुर तहसील का कोसेलाव ग्राम जवाई कमाण्ड क्षेत्र का ग्राम हैं जहां अधिकांश किशान जवाई बांध से निकलने वाली नहर से सिंचाई कर साल में एक फसल अवश्य प्राप्त करते हैं। इससे प्रतित होता हैं कि गैरसायल की 97 बीघा 04 बिस्वा अथवा 38.88 एकड़ भूमि जवाई नहरी एक फसली एश्योर्ड भूमि हैं। शेष 89 बीघा 15 बिस्वा अथवा 35.90 एकड़ चाही भूमि को भी एक फसली एश्योर्ड भूमि में 27:48 के अनुपात में परिवर्तित करने पर 20.19 एकड़ भूमि होती हैं। इस प्रकार मृतक गैरसायल भेराराम के पास 38.88+20.19=59.07 एकड जवाई एक फसली भूमि धारित थी।

10. राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया की माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा श्री प्रभुराम पुत्र भेराराम को सेपरेट (पृथक) यूनिट मानने से गैरसायल के परिवार के सदस्य दो यूनिट होने से 27+27=54 एकड़ जवाई एक फसली भूमि ही धारण करने की के अधिकारी हैं।

11. राजकीय अभिभाषक ने अन्त में अपनी बहस में निवेदन कि उक्त प्रकरण के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पूर्व सीलिंग प्रकरण संख्या 5/2003 के निर्णय दिनांक 24.9.2004 में विस्तृत विवेचन करते हुए तथ्यात्मक एवं विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया हैं। अतः उसी के अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावें।

12. हमने सरकारी पैराकर की बहस पर मनन किया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिये गये निर्देश को मध्यनजर रखते हुए उक्त सीलिंग प्रकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरा सुविचारित निष्कर्ष इस प्रकार हैं कि गैरसायल के कायम मुकामों को अपना पक्ष साबित करने का समूचित अवसर प्रदान किया गया इतना लम्बा समय देने के उपरान्त भी गैरसायल के कायम मुकामों द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार के साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये ओर न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया, फलस्वरूप प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

13. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.2.2014 के अनुसार उक्त प्रकरण में धारण योग्य भूमि की सही गणना कर विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण की पुनः जांच करके नवीनतः निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये थे। माननीय न्यायालय के निर्देश की पालना में पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने पर तथ्य उभर के इस प्रकार आये की गैरसायल की विवादित भूमि ग्राम कोसेलाव में आयी हुइ हैं तथा ग्राम कोसेलाव पाली

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

जिले की सुमेरपुर तहसील में जवाई कमाण्ड क्षेत्र में स्थीत हैं, जहां अधिकांशतः लोग जवाई डेम से आने वाली नहर के पानी से भूमि सिंचित कर कम से कम एक फसली पैदा एक साल में प्राप्त करते हैं। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दियों से यह स्पष्ट होता हैं कि गैरसायल की 97 बीघा 04 बिस्वा अथवा 38.88 एकड़ भूमि जवाई नहरी एक फसली एश्योर्ड भूमि हैं। शेष 89 बीघा 15 बिस्वा अथवा 35.90 एकड़ चाही भूमि को भी एक फसली एश्योर्ड भूमि में 27:48 के अनुपात में परिवर्तित करने पर 20.19 एकड भूमि होती हैं। इस प्रकार मृतक गैरसायल भेराराम के पास 38.88+20.19=59.07 एकड जवाई एक फसली एश्योर्ड भूमि धारित थी।

14. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा श्री प्रभुराम पुत्र भेराराम को सेपरेट (पृथक) यूनिट माना हैं, जिससे गैरसायल के परिवार के सदस्य दो यूनिट होने से 27+27=54 एकड़ जवाई एक फसली एश्योर्ड भूमि ही धारण करने की के अधिकारी हैं। शेष 59.07–54.00=5.07 एकड जवाई एक फसली एश्योर्ड भूमि मृतक गैरसायल/कायम मुकाम के पास सीलिंग सीमा से अधिक रहती हैं जो अधिग्रहण योग्य हैं।

15. अतः मृतक गैरसायल/कायम मुकामों के पास 5.07 एकड़ जवाई एक फसली एश्योर्ड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से उक्त 5.07 जवाई एक फसली एश्योर्ड एकड अर्थात 13 बीघा जवाई एक फसली एश्योर्ड भूमि अर्थात 22 बीघा चाही भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता हैं। मृतक गैरसायल भेराराम के कायम मुकाम इस आदेश के 15 दिवस के भीतर भीतर अपना विकल्प पत्र तहसीलदार सुमेरपुर को पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को भेजकर लेख है कि वे गैरसायल के कायम मुकामों से विकल्प पत्र प्राप्त होने पर निर्णय अनुसार भूमि अधिग्रहण करे। गैरसायल के कायम मुकामों से निर्धारित अवधि में विकल्प पत्र प्राप्त नहीं होने पर मृतक गैरसायल भेराराम के परिवार के सदस्यों के पास धारित भारमुक्त भूमि का अधिग्रहण किया जावें। अगर इस कानून के तहत पूर्व में कोई भूमि अधिग्रहित की गई हो तो उसका समायोजन किया जावें। इसके पश्चात अधिग्रहण से भूमि शेष रहती हैं तो अन्तरित क्रम में क्रेताओं से भूमि अधिग्रहण की जावे। भूमि अधिग्रहित कर एक माह में पालना रिपोर्ट न्यायालय को पेश करे।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

आदेश की प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली तथा उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावें।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 25-11-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)